



कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)



क्रमांक / सी.एस / 2020-21 / 1905

जगदलपुर, दिनांक 19 / 10 / 2020

महारानी अस्पताल जगदलपुर अंतर्गत जिला खनिज न्यास मद से अनुमोदित पद-डायलिसीस
टेक्निशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड आया, वार्ड बाय एवं स्वीपर हेतु दावा आपत्ति पश्चात निराकरण सूची, अंतिम
मेरिट सूची एवं चयन एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन

कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक महारानी अस्पताल जगदलपुर में जिला खनिज न्यास मद से अनुमोदित पद-डायलिसीस टेक्निशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड आया, वार्ड बाय एवं स्वीपर पर संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / सी.एस / 2020-21 / 866 जगदलपुर दिनांक 22/6/2020 एवं संशोधित विज्ञापन क्रमांक / सी.एस / 2020-21 / 1504 जगदलपुर दिनांक 27/8/2020 जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सी.एस / 2020-21 / 1685 जगदलपुर दिनांक 14/9/2020 के माध्यम से प्राप्त आवेदनो का स्कुटनी समिति द्वारा जॉब उपरांत पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन किया गया था, पात्र अपात्र सूची में दर्शित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज यथा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन, नियोक्ता द्वारा जारी पद अनुरूप अनुभव प्रमाण पत्र (नियुक्ति आदेश के साथ), छ.ग. राज्य का पैरामेडिकल जीवित पंजीयन तथा आवेदक के संबंध में कोई भी आपत्ति (प्रकाशित सूची में कोई त्रुटि हो तो) त्रुटि सुधार हेतु आवेदको से दावा आपत्ति दिनांक 26/9/2020 तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालयीन अवधि में (चाहे गये आवश्यक दस्तावेजों के साथ) मंगवायी गयी थी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात Staff Nurse पद हेतु कुल 57, Ward boy पद हेतु कुल 25, Ward aya पद हेतु 15, Sweeper पद हेतु कुल 02 एवं Dialysis Technician पद हेतु कार्यालय को कुल 01 दावा आपत्ती आवेदन पत्र प्राप्त हुये। पद-वार्ड बाय, वार्ड आया एवं स्वीपर के लिये विज्ञापन के नियम व शर्त 11 के अनुसार आयु दिनांक 1/1/2020 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष मॉगी गयी थी। उपरोक्त के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भवन, अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्र/एफ 3-2/2015/1.3 अटल नगर दिनांक 30/1/2019 के अनुसार आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट देते हुये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष तय की गयी है अतः उपरोक्त तीनों पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष मान्य की जाती है एवं तीनों पद- वार्ड बाय, वार्ड आया एवं स्वीपर के लिये, जो आवेदक पूर्व में अधिकतम आयुसीमा के कारण सूची में अपात्र थे (आयु 35 से 40 वर्ष के मध्य के समस्त आवेदक दिनांक 1/1/2020 की स्थिति में) उन्हें पात्र करते हुये आगामी मेरिट एवं चयन सूची बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार तय समय सीमा तक प्राप्त दावा आपत्तियों के समिति द्वारा निराकरण पश्चात समस्त पदों के पात्र उम्मीदवारों के प्राप्तांको एवं अनुभव के अंको के आधार पर, विज्ञापन के नियम क्रमांक 20 के

(Handwritten signature)

प. ड. 01

अनुसार अंतिम मेरिट सूची बनायी गयी है एवं साथ ही चयन एवं प्रतीक्षा सूची हेतु समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये है-

1. यदि किसी आवेदक का अंतिम मेरिट सूची में नाम अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी दोनों में आता है, उक्त स्थिति में आवेदक का चयन अनारक्षित श्रेणी में किया गया है, एवं आरक्षित श्रेणी की चयन/प्रतीक्षा सूची में संबंधित आवेदक को स्थान नहीं दिया गया है।

2. यदि किसी आवेदक का अंतिम मेरिट सूची में नाम अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी दोनों में आता है किंतु मेरिट आधार पर आवेदक का चयन सिर्फ आरक्षित श्रेणी में हो रहा हो तो संबंधित आवेदक को अनारक्षित श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में स्थान की पात्रता नहीं दी गयी है।

3. समस्त पदों हेतु सर्वप्रथम बस्तर जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गयी है तत्पश्चात बस्तर संभाग एवं अंत में छ.ग. राज्य के अन्य जिलों के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गयी है।

4. कुछ आवेदकों ने वार्ड बाय/वार्ड आया पद के साथ ही साथ स्वीपर के पद हेतु भी आवेदन किया है। उक्त स्थिति में यदि किसी आवेदक का चयन वार्डबाय/वार्ड आया के साथ ही साथ स्वीपर पद के लिये भी मेरिट आधार पर हो रहा हो तो संबंधित आवेदक का चयन उच्च पद - वार्डबाय/वार्ड आया के लिये ही किया गया है वार्डबाय/वार्ड आया पद पर चयनित किसी भी आवेदक को स्वीपर पद के लिये चयन एवं प्रतीक्षा सूची में स्थान नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार चयन एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन में दिये गये दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 25.10.2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी, निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा। चयनित समस्त उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जाँच नियुक्ति के समय समिति द्वारा की जावेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी या गलत जानकारी पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा एवं पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में से की जा सकेगी।


अतः विज्ञापित समस्त पदों के लिये दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदकों की निराकरण सूची, अंतिम मेरिट सूची एवं चयन व प्रतीक्षा सूची के परिणाम की सूचना दैनिक समाचार पत्रों, शासकीय वेबसाइट www.bastar.gov.in एवं स्थानीय कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकनार्थ चस्था की गयी है।

संलग्न - 1. दावा आपत्ति हेतु आवेदकों की निराकरण सूची।

2. विज्ञापन के नियम क्रमांक 20 के अनुसार अंतिम मेरिट सूची।

3. चयन एवं प्रतीक्षा सूची।

4. विज्ञापित पदों के संबंध में चयनित आवेदकों के नियुक्ति आदेश।


सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)